

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2161
दिनांक 29 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों में महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं

2161. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों सहित जनजातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस उद्देश्य के लिए खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र में कोई विशेष योजना प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार द्वारा राज्य के खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बैतूल जनजातीय जिलों में कोई विशेष योजना कार्यान्वित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग): बेहतर निगरानी और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों सहित देश में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही सभी स्कीमों को तीन वर्टिकलस अर्थात् (1) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) मिशन शक्ति (3) मिशन वात्सल्य में एक साथ जोड़ा गया है। इन स्कीमों का विवरण इस प्रकार है:

(i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0: इस कार्यक्रम को 3 प्राथमिक वर्टिकलस में पुनर्गठित किया गया है: (i) बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता (ii) आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना।

(ii) मिशन शक्ति: मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्रमशः 'संबल' और 'सामर्थ्य' दो उप-स्कीमें शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की मौजूदा स्कीमों को संबल उप-स्कीम का भाग बनाया गया है; जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्वला और स्वाधार गृह (शक्ति सदन), कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास), जेंडर बजटिंग और राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम की मौजूदा स्कीमों को 'सामर्थ्य' में समाहित किया गया है।

(iii) मिशन वात्सल्य: इस स्कीम के तहत, पूरे देश में जरूरतमंद और कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों को सेवाएं प्रदान करने; विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। स्कीम के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों बच्चों को शामिल करते हुए आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि का समर्थन करते हैं।
